छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2010
(श्रावण-5, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किये जाने हेतु डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी का नाम पुकारा गया। प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे द्वारा प्रदेश में लगातार हो रही नक्सली घटनाओं पर शासन की ओर से वक्तव्य की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा आग्रह किया गया कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाता अतः प्रश्नकाल चलने दिया जाय एवं प्रश्नकाल के पश्चात इस पर विचार करने का उल्लेख किया परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई एवं पर्चे लहराए गए।

2. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- सदन में पर्चे लहराना विधान सभा की परंपरा नहीं है। कृपयाआप पर्चें न लहरायें और पर्चों को रख लीजिए।

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्नकाल के बाद अन्य विषयों पर चर्चा हो सकने संबंधी कथन किया एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.06 बजे स्थगित की जाकर 11.21 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

4. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन स्वीकार कर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर निरंतर नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध किया कि विधान सभा की परंपरा के अनुसार प्रश्नकाल चलने दें। हर विधान सभा और लोकसभा की अपनी परम्परा है, उस परपंरा का आप भी निर्वाह कीजिए। प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात आपकी सूचनओं पर विचार किया जाएगा।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई ।)

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा सारे विषयों को स्थगित करते हुए स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने पुनः प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया एवं प्रश्नकाल के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई ।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही पुनः 11.25 बजे से 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

5.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009, तथा

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009,

पटल पर रखे।

6. जनवरी-मार्च, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार जनवरी-मार्च, 2010 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

8. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के जुलाई, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से शेष रहे 02 विधेयकों में से 01 पर तथा तृतीय विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में पारित 16 विधेयकों में से 15 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार, द्वितीय विधान सभा के जुलाई, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से शेष रहे 02 विधेयकों में से 01 पर तथा तृतीय विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में पारित 16 विधेयकों में से 15 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2010 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	03 घंटे

	विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010	20 मिनट
(2)	हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010	10 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010	45 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-32, मस्तूरी के सदस्य डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी द्वारा जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र में दिनांक 26/7/2010 से दिनांक 3/8/2010 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

11. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि संबंधी 31 सदस्यों की प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने की सहमति प्रदान की।

स्थगन प्रस्ताव पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, दीपक कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, (डा.) शक्राजीत नायक, (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

12. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, भीमा मण्डावी, रुद्रकुमार गुरू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, सौरभ सिंह, लखमा कवासी, विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री संतोष बाफना, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदयाल उइके, बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स (नाम निर्दिष्ट), श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, नारायण चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन की चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, देवजी पटेल, रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किए।

13. अध्यक्षीय उद्‌गार

आज विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में स्थगन प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से विचार व्यक्त करते हुए शासन की कमियों को सभा में रखा और इस समस्या पर शासन से विभिन्न बिंदुओं पर जवाब मांगा।

सदन में स्थगन में सम्मिलित बिंदुओं के साथ-साथ नक्सलवाद और इसके प्रभाव को कम करने के साथ-साथ शासन पक्ष ने विस्तार से नक्सली समस्या के समाधान के लिए निर्धारित कार्ययोजना की भी जानकारी दी।

सम्पूर्ण चर्चा से नक्सल समस्या और इसके निदान के शासन द्वारा किए गए व किए जाने वाले प्रयास से सभा के माध्यम से पूरे प्रदेश को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली।

मैं इस अवसर पर सभा के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष को एवं सदस्यों को बधाई देता हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के आरंभ से अंत तक समस्त सदस्यों ने यह सिद्ध किया कि सदन चर्चा के माध्यम से समस्या का हल निकालने का सबसे सर्वोच्च मंच है।

रात्रि 7.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा